Jh vkfnR; dqekj nkl]Hkk-iz-ls- ftykf/kdkjh] tgkukckn ds }kjk fnukad 08-04-2015 dks iz[k.M dk;kZy;] jruh Qjhniqj dk fd;s x;s fujh{k.k dk fujh{k.k fVIi.kh %&

ifjp;%&

रतनी फरीदपुर प्रखण्ड का सृजन बिहार सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, पटना की अधिसूचना संख्या 8621, दिनांक 21.10.1994 द्वारा मूल प्रखण्ड कुर्था का विभाजन होकर हुआ हैं। यह कार्यालय जिला मुख्यालय से पश्चिम 18 कि0मी0 की दूरी पर शकुराबाद– कुर्था के बीच में पण्डौल मोड़ पर स्थित हैं, जो पथ निर्माण विभाग से जुड़ी है। प्रखण्ड का आकार उत्तर से दक्षिण तक लम्बाकार है, जिसकी लम्बाई 40 कि0मी0 तक लम्बाकार है एवं इसकी चौड़ाई पुरब से पश्चिम 10 कि0मी0 तक फैला हुआ है। रतनी फरीदपुर प्रखण्ड के निकट 5 कि0मी0 ग्राम फौलादपुर जो कुर्था प्रखण्ड का सीमा है। प्रखण्ड का क्षेत्रफल 400 वर्गकि0मी0 है।

इस प्रखण्ड कार्यालय का अपना भवन अभी तैयार नहीं हुआ है । कार्य प्रगति पर है। प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए भू–अर्जन की आवश्यकता है। इसके लिए जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेशित किया गया कि अविलम्ब भू–अर्जन के कार्रवाई करते हुए मुआवजा भुगतान कर जमीन उपलब्ध कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद को कराना सुनिश्चित करें ताकि निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जा सके।

¼vuqikyu % ftyk Hkw&vtZu inkf/kdkjh] tgkukckn ½

वर्त्तमान समय में संसाधन भवन के आधे भाग में प्रखण्ड कार्यालय एवं आधे भाग में अंचल कार्यालय अवस्थित है। कुछ कमरो का उपयोग किसान भवन में किया जा रहा है। इस भवन में कमरों की काफी कमी है, परन्तु प्रखण्ड परिसर में कई नये भवन बनकर तैयार हैं, परन्तु इसका उपयोग नहीं हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा आई.ए.पी. से निर्मित नागरिक सुविधा केन्द्र में अंचल कार्यालय स्थानांतरित करने का दिये गये निदेश का अनुपालन अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा नहीं किया गया है। अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर अविलम्ब इसका अनुपालन करेंगे। उसी प्रकार जन प्रतिनिधि भवन तथा पशुपालन विभाग द्वारा एक भवन निर्मित है, जिसका फिनिशिंग कार्य बाकी है, इसका भी समुचित उपयोग किया जा सकता है।

¼vuqikyu % vapykf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

2- iz[k.M ls lacaf/kr lkekU; lwpuk %&

1. चौहद्दी :

1. उत्तर :–	पालीगंज प्रखण्ड (पटना)
2 .दक्षिण :–	टिकारी प्रखण्ड (गया)
3. पुरब :–	जहानाबाद प्रखण्ड
4. पश्चिमः–	कुर्था प्रखण्ड (अरवल)

2. प्रखण्ड की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार 124273
पुरूष 64251 महिला 60022.

वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 147100

पुरूष 76740 महिला 70360

3. 0.6 आयु समूह बच्चों की संख्या : 24902 (पुरूष 12990 महिला 11912)

4. साक्षरो की कुल संख्या : 83763 (पुरूष 51924 महिला 31839)

5. कुल राजस्व ग्रामों की संख्या : 97
   1. चिरागी : 88
   2. वेचिरागी : 09

6. कुल हल्को की संख्या : 07

7. कुल पंचायतों की संख्या : 14

8. जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या : 02

9. कुल पंचायत समिति नि0 क्षेत्र की संख्या : 19

10. कुल थानों की संख्या : 01 (शकुराबाद)

11. ओ0 पी0 थाना की सं0 : 01 (झुनाठी)

LokLF;%&

12. कुल प्रा0स्वा0 केन्द्रों की संख्या : 01
13. कुल अतिरिक्त स्वा0 केन्द्रो की संख्या : 07
14. कुल स्वा0 उप केन्द्रो की संख्या : 13
15. कुल पशु चिकित्सा केन्द्रो की संख्या : 01
16. कुल विद्युत सव स्टेशन की संख्या : 01
17. कुल व्यावसायिक बैंको की संख्या : 05
18. कुल भूमि विकास बैंको की संख्या : 00

fo|ky;%&

19. कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या : 73
20. कुल मध्य विद्यालयों की संख्या : 49
21. कुल उच्च विद्यालयों की सं0 : 04
22. कुल महाविद्यालयों की संख्या : 00
23. कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालयों की संख्या : 01

df"k%&

24. प्रखण्ड का कुल क्षेत्रफल : 32205.23 एकड़
25. कुल कृषि योग्य भूमि का रकवा : 32205.23 एकड़
26. सिंचित योग्य भूमि : 23472.81 एकड़
27. असिंचित योग्य भूमि :8779.42 एकड़
28. गैर कृषि योग्य भूमि का रकवा : 211.48 एकड़
29. कुल परिवारो की सं0 : 62256
30. प्रमुख नदियॉ : बलदईया, मोरहर एवं गंगहर

31.. बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या : 11758
32. ए0पी0एल0 परिवारों की संख्या : 15810
33. लाल कार्डधारी परिवारों की सं0 : 11464
34. अंत्योदय कार्डधारी परिवारों की संख्या : 3305
35. ए0पी0एल0 कार्डधारी परिवारों की संख्या : 15859

3- i`[k.M fodkl inkf/kdkjh dk iHkkj ¼& प्रखण्ड सृजन से अब तक के पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों का विवरणी :–

Øekd	i`[k.M fodkl inkf/kdkjh dk uke	;kxnku dh frfFk	ls	iHkkj nsus dh frfFk
1	श्री गया प्रसाद, बि0प्र0से0	27.10.1995	से	17.06.1997
2	श्री राजीव शंकर बि0प्र0से0	18.06.1997	से	18.09.1998
3	श्री कमलेश्वरी प्रसाद कृषि सेवा	18.09.1998	से	20.01.2000
4	श्री चन्दन कुमार बि0 प्र0से0	20.01.2000	से	06.02.2001
5	श्री कुमार अरूण प्रकाश बि0प्र0से0	06.02.2001	से	14.03.2003
6	श्री चन्दन कुमार बि0 प्र0से0	14.03.2003	से	21.05.2003
7	श्री एनामुलहक बि0प्र0से0	21.05.2003	से	01.06.2007
8	भरत भुषण प्रसाद बि0प्र0से0	02.06.2007	से	11.09.2008
9	महावीर प्रसाद शर्मा ,बि0प्र0से0	12.09.2008	से	03.04.2010
10.	श्री रामाशंकर झा	04.09.2010	से	07.06.2011
11	श्री उपेन्द्र पंडित परिक्ष्माण, उपसमाहर्त्ता	07.06.2011	से	14.08.2011
12	श्री मति आइवी मौरगेन ग्रा0वि0वि0	14.08.2011	से	19.04.2012
13	मो0 सफीक परिक्ष्माण , उपसमाहर्त्ता	19.04.2012	से	23.06.2012
14	श्री मति आईवी मौरगेन ग्रा0वि0वि0	23.06.2012	से	13.02.2014
15	श्री शिवाधार पाण्डेय वि0पं0से0	14.02.2014	से	24.07.2014
16	श्री सुदामा प्रसाद सिंह आर0डी0 ओ0	24.07.2014	से	11.09.2014
17	श्री कौशल किशोर (प्रभार में)	12.09.2014	से	14.09.2014
18	श्री मुकेश कुमार आर0डी0 ओ0	15.09.2014	से	15.12.2014
19	श्री चन्द्रभुषण गुप्ता	16.12.2014	से	19.01.2015
20	श्री मुकेश कुमार आर0डी0ओ0	20.01.2015	से	अबतक

4- iwoZ dk fujh{k.k ¼&

Ø0	fujh{k.k inkf/kdkjh	fujh{k.k dh frfFk	fVIi.kh ikfIr dh frfFk	vuqikyu
1	श्री सरयु प्र0 कार्यपालक दण्डाधिकारी, जहानाबाद	30.08.1997	10.09.1997	18.10.1997

2	मो0 शकिर जमाल अनु0 पदा0, जहानाबाद	23.03.2001	22.07.2001	31.12.2001
3	हुकुम सिंह मीणा जिलाधिकारी, जहानाबाद	29.03.2001	10.10.2001	14.02.2002
4	श्री संतोष कुमार मल्ल, जिलाधिकारी, जहानाबाद	15.02.2002	08.04.2002	14.05.2002
5	श्री अजय कुमार सिंह निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद	18.08.2006	15.09.2006	09.10.2006
6	श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी अनु0पदा0, जहानाबाद	01.11.2007	26.11.2007	14.12.2007
7	मो0 सोहैल भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, जहानाबाद	04.05.2013	08.07.2013	05.07.2013
8	श्री मोतीलाल कार्यालय अधक्षक	16.07.2014	28.07.2014	04.12.2014

दिनांक 19.11.2011 के द्वारा श्री बालामुरूगन डी0,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण टिप्पणी ज्ञापांक 2479/गो0, दिनांक 25.11.2011 के द्वारा प्रेषित की गई है, परन्तु निरीक्षण हेतु जो ज्ञापन समर्पित किया गया है, उसमें इसका उल्लेख पूर्व के निरीक्षण टिप्पणी में नहीं की गई है और न ही रक्षी संचिका में संधारित की गई है।

इसी प्रकार अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी दिनांक 02.07.2014 को इस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था, परन्तु इसका उल्लेख भी पूर्व के निरीक्षण टिप्पणी में नहीं की गई है और न ही निरीक्षण टिप्पणी इस कार्यालय में उपलब्ध थी, जबकि ज्ञापांक 1146/गो0, दिनांक 03.07.2015 के द्वारा निरीक्षण टिप्पणी इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

इससे स्पष्ट है कि निरीक्षण टिप्पणी को रक्षी संचिका में संधारित नहीं की जा रही है और न ही इसका अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। पूर्व से निरीक्षण की तिथि निर्धारित रहने के बावजूद भी इस प्रकार का भ्रामक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना काफी निराशाजनक है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रधान सहायक के माध्यम से प्रस्तु प्रतिवेदन पर केवल हस्ताक्षर मात्र अंकित की गई है, इसे अपने स्तर से जॉचा–परखा तक नहीं गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों और किस परिस्थिति में इस प्रकार का भ्रामक प्रतिवेदन निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया है। साथ ही दोनों निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे।

¼vuqikyu % i[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

5- ¼d½ LFkkiuk%& प्रखण्ड में विभिन्न कोटि के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का स्वीकृत पद कार्यरत पद बल/रिक्त पद बल निम्न प्रकार है :–

Ø-	'kh"kZ	inuke	Lohd`r in cy	dk;Zjr in cy	fjDr in cy
1	2515 ''ख''	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	1	1	0
2	''	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	1	1	0
3	''	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	1	0	1

4	''	प्रधान लिपिक	1	1	0
5	''	लिपिक	3	2	1
6	''	निम्नवर्गीय लिपिक	1	1	0
7	''	वाहन चालक	1	1	प्रति0 जिला कार्य
8	''	लिपिक	2	1	प्रति जि0आपूर्ति कार्या0
9	''	अनुसेवक	3	3	0
10	''	जनसेवक	4	2	2
11	2515 ''क''	पंचायत सेवक	14	7	7
12	''	रात्री प्रहरी	1	0	1
13	2505 एनआरईपी0	कनीय अभियंता 2505	1	0	1
14	''	कनीय लेखापाल	02 (जिला स्तर)	0	2
15	2235 सामाजिक सुरक्षा	सहायक	1	01	प्रतिनियुक्ति काको प्रखण्ड

- निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी श्री श्रवण कुमार/ प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी श्री नुकूल कुमार एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी श्री अंजनी कुमार अनुपस्थित थे। इस संबंध में जब पूछा गया तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि सभी को सूचना दी गई है, परन्तु वे अनुपस्थित हैं। श्री श्रवण कुमार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, मखदुमपुर इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा सप्ताह में दो दिन आते हैं। श्री नुकूल कुमार, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर कभी भी कार्यालय नहीं आते हैं। इस संबंध में जब जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि इनका स्थानांतरण हो गया है। निदेशित किया गया कि ये कब योगदान किये थे तथा कब इनका स्थानांतरण हुआ। इनका एल.पी.सी किस तिथि से निर्गत हुआ है तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा कब–कब शिकायत प्राप्त हुई है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है, का विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही श्री श्रवण कुमार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, मखदुमपुर–सह–रतनी फरीदपुर एवं श्री अंजनी कुमार, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 08.04.2015 के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर अपने स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu % ftyk dY;k.k inkf/kdkjh] tgkukckn@ dk"kkxkj inkf/kdkjh] tgkukckn@ ftyk df"k inkf/kdkjh] tgkukckn@ ftyk lgdkfjrk inkf/kdkjh] tgkukckn@ i:[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ,oa e[kneiqj ½

¼[k½ Lohd`r cy ds fo:} i:[k.M esa inLFkkiuk inkf/kdkfj;ksa ,oa deh dh lwph ,oa fooj.k dh fLFkfr fuEu izdkj gS %&

Ø-	uke	inuke	;ksxnku dh frfFk	xg ftyk	vH;fDr
1	श्री मुकेश कुमार	प्र0वि0 पदा0	15.09.2014	गया	

2	श्री कौशल किशोर	प्र0पं0रा0 पदा0	12.02.2014	नालान्दा	
3	श्री अग्नि कुमार	प्रभारी प्रधान सहायक	08.08.2014	जहानाबाद	
4	श्री अखिलेश कुमार	नाजीर	12.07.2010	जहानाबाद	प्रतिनियोजित पर इस कार्यालय में
5	श्री सियाराम प्र0 सिंह	सहायक	08.08.2010	गया	
6	श्री मृत्युजंय कुमार	लिपिक			जिला में प्रतिनियोजित
7	मो0 सलीम अहसन	लिपिक	20.08.2014	जहानाबाद	प्रतिनियुक्त काको प्रखण्ड
6	श्री शैलेन्द्र शर्मा	पंचायत सचिव	28.02.2014	जहानाबाद	
7	श्री बाल्मीकी कुमार	पंचायत सचिव	16.09.2013	अरवल	
8	श्री विमल कुमार सिन्हा	पंचायत सचिव	17.12.2013	जहानाबाद	
9	श्री रणविजय प्र0 सिंह यादव	पंचायत सचिव	05.07.2014	अरवल	
10	श्री नन्द किशोर सिंह	पंचायत सचिव	10.07.2014	जहानाबाद	
11	श्री नरेन्द्र कुमार	जनसेवक	17.07.2014	जहानाबाद	
12	श्री योगेन्द्र पासवान	जनसेवक	15.07.2014	जहानाबाद	
11	श्री अनिल कुमार शेखर	पंचायत सचिव	05.07.2014	अरवल	
12	श्री महादेव दास	अनुसेवक	01.11.2008	जहानबाद	
13	श्री विजेन्द्र शर्मा	अनुसेवक	26.04.1999	जहानाबाद	
14	श्री महेन्द्र प्रसाद	अनुसेवक	28.10.2009	सासाराम	

- जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि श्री अखिलेश कुमार, प्रखण्ड नाजीर का स्थानांतरण कोषागार कार्यालय, जहानाबाद में एवं मो0 सलीम अहसन, प्रखण्ड नाजीर, काको का स्थानांतरण रतनी फरीदपुर प्रखण्ड कार्यालय में हुआ था, परन्तु दोनों कर्मियों के द्वारा स्थानांतरित कार्यालय में योगदान के पूर्व के कार्यालय में प्रभार देने के नाम पर गये, परन्तु वापस स्थानांतरित कार्यालय में नहीं लौटे। कालांतर में इनकी प्रतिनियुक्ति पूर्व के कार्यालयों में ही कर दिया गया। जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद को निदेशित किया गया कि अविलम्ब दोनों कर्मियों को स्थानांतरित कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें।
- जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि श्री मृत्युंजय कुमार, लिपिक का स्थानांतरण रतनी फरीदपुर कार्यालय में हुई थी, परन्तु उन्हें तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद के अनुरोध पर जिला आपूर्ति कार्यालय, जहानाबाद में प्रतिनियुक्त किया गया। निदेशित किया गया कि रतनी फरीदपुर प्रखण्ड कार्यालय में सहायक की कमी को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब इन्हें प्रखण्ड कार्यालय रतनी फरीदपुर में योगदान कराना सुनिश्चित करें।

¼vuqikyu % ftyk LFkkiuk mi lekgrk] tgkukckn ½

6- vkxr fuxir i:th %&

क्र0	वर्ष	निर्गत पत्रों की कुल संख्या	प्राप्त पत्रों की कुल संख्या
1	2013	2265	2482
2	2014	2183	1143
3	2015	429	129

प्राप्त एवं निर्गत पंजी का अवलोकन किया गया। 01 जनवरी, 2015 से इस पंजी को संधारित किया गया है, परन्तु प्राप्त पत्रों की पंजी में मात्र 135 पत्र की ही प्रविष्टी अंकित पाई गई। प्राप्त पत्रों के पंजी के सभी कॉलम में प्रविष्टी नहीं की गई है। प्राप्त पत्रों का उत्तर किस पत्रांक/दिनांक से कहॉ भेजा गया है, यह भी उल्लेख पंजी में अंकित नहीं की गई है। दिनांक 01.04.2015 के बाद से 07 प्राप्त पत्रों को अभी तक प्राप्त पत्रों की पंजी में प्रविष्टी नहीं की गई है। प्रधान सहायक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को ज्ञात रहते हुए भी इस ओर इन्होने कोई ध्यान नहीं दिया है।

निर्गत पत्रों की पंजी में दिनांक 07.04.2015 तक कुल 449 पत्र निर्गत किये गये है। निर्गत पत्रों की पंजी में निर्गत पत्र को किस संचिका में संधारित की गई है, के कॉलम में संचिका संख्या की प्रविष्टी नहीं की गई है, जबकि इस संबंध में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एवं प्रधान सहायक को प्रधान सहायक की मासिक बैठक में नियमित रूप से निदेश दिये जाने के बावजूद इसका सही रूप से प्रविष्टी नहीं की गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया गया कि संचिका संख्या के साथ ही पत्रों को निर्गत करें, इससे पत्रों को खोजने में आसानी रहेगी और पत्र सही रूप से संचिका में संधारित भी रहेगा। इस आशय का निदेश जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रधान सहायकों को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu ½ ftyk LFkkiuk mi lekgrk] tgkukckn@ i:[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhnij ½

7. vuØe.khdk i:th :– अनुक्रमणीका पंजी संधारित है, परन्तु इसके निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी के द्वारा डीजल अनुदान की वर्ष 2014–15 की संचिका संख्या II-6/15 का अवलोकन किया तो इस संचिका में डीजल अनुदान से संबंधित पत्रों को मात्र संकलित पाया, इस संचिका में कोई नोटसिट नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण को ध्यान में रखकर सिर्फ पत्रों को एक जगह एकत्रित किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर ने आवंटित राशि के निकासी हेतु कब आदेश दिया तथा निकासी की गई राशि को किस–किस पंचायत में कितनी राशि वितरण का आदेश कब दिया गया, इसका कहीं कोई नोटसीट में या संचिका में उल्लेख नहीं पाया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस कार्यालय में संचिका में आदेश देने की कोई परिपाटी नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया गया कि सभी वित्तीय मामलों में संचिका के नोटिसीट के माध्यम से स्वीकृति आदेश देंगे। इस प्रखण्ड के वरीय प्रभारी श्री सुबोध कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद जो निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे, को निदेशित किया गया कि इसे सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। चूँकि नये प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आर.डी.ओ. के रूप में पदस्थापित है, उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है कि कैसे संचिका का संधारण किया जाय एवं वित्तीय मामलों में संचिका के माध्यम से नोटसिट में आदेश प्रदान करें, इसके लिए जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद को निदेशित

किया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को जिला स्तर पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर इन्हें इस संबंध में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

¼vuqikyu % ftyk LFkkiuk mi lekgrk] tgkukckn@ Hkkfe lq/kkj mi lekgrk] tgkukckn@ i[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

8-- lokiLr : संधारित है, इसका अवलोकन किया गया। यह पंजी वर्ष 1998 से चला आ रहा है और इसमें कुल 54 कर्मियों का उल्लेख किया गया है, जबकि पंजी में सभी कर्मियों के पृष्ठों पर ये उल्लेख किया गया है कि ये सेवानिवृत हो गये हैं। इस प्रकार से इस पंजी को सेवापुस्त पंजी के रूप में संधारित नहीं माना जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जितने भी कर्मी इस कार्यालय में पदस्थापित हैं, उनका सेवापुस्त विहित प्रपत्र में संधारण कराना सुनिश्चित करें और जो कर्मी यहॉ से अन्यत्र स्थानांतरित हो गये है, उनका सेवापुस्त उस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो कर्मी यहॉ स्थानांतरित होकर आये हैं, वहॉ से इनका सेवापुस्त प्राप्त करने हेतु पत्राचार करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद को भी प्रेषित की जाय ताकि उस संबंध में जिला से भी अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

¼vuqikyu% ftyk LFkkiuk mi lekgrk] tgkukckn@i[k.M fodkl ink] jruh Qjhniqj ½

9- vodk'k iath :– संधारित है, परन्तु सभी कर्मियों का अवकाश संबंधी प्रविष्टी अद्यतन नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया गया कि सभी कर्मियों के अवकाश संबंधी ब्यौरा का अद्यतन प्रविष्टी कराते हुए उसे हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu % i[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

10- lfonk dh vk/kkj ij dk;jr i[k.M dfe;ksa dh lph : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु जो प्रतिवेदन दिये गये हैं, उसमें अंकित है कि इस कार्यालय में कोई भी कर्मी कार्यरत नहीं है, जबकि इंदिरा आवास सहायक के 10 कर्मी संविदा पर कार्यरत है तथा 01 इंदिरा आवास लेखा सहायक भी संविदा पर कार्यरत हैं। जिसका सीधा नियंत्रण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का ही होता है, परन्तु इनके द्वारा भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि इनके कार्यालय में कोई संविदा पर आधारित कर्मी कार्यरत नहीं है, जो दुःखद है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी इंदिरा आवास सहायक क्षेत्र में रहते हैं, कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है। निदेशित किया गया कि सभी इंदिरा आवास सहायकों की उपस्थिति प्रतिदिन प्रखण्ड कार्यालय में करायेंगे तथा अनुपस्थित रहने वाले इंदिरा आवास सहायकों के मानदेय भुगतान की कटौती करते हुए कार्रवाई हेतु अनुशंसा जिला मुख्यालय को भेजेंगे। साथ ही प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा भी करेंगे एवं प्रखण्ड कार्यालय के अन्य कार्यों का निष्पादन इन कर्मियों से करायेंगे।

¼vuqikyu % i[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

11. fujh{k.k iath:– संधारित है, परन्तु अद्यतन नही है।

12- e[;e=h dU;kk fookg ;kstuk iath : संधारित है, परन्तु उपलब्ध राशि का वितरण अब तक शत–प्रतिशत नहीं किया गया है। 154 लाभार्थियों का चेक बनकर तैयार है, परन्तु इसका वितरण नहीं किया गया है। इस संबंध में जब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इन लाभार्थियों को सूचना दी गई है, परन्तु चेक लेने कार्यालय नहीं आये हैं। निदेशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को मुखिया/पंचायत सेवक/ टोला सेवक/ विकास मित्र

एवं दूरभाष पर अथवा अन्य माध्यम से सूचित कर कैम्प आयोजित कर इसका वितरण सुनिश्चित करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि वितरण में विलम्ब एवं शिथिलता को बर्दास्त नहीं किया जायेगा।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

13- ykd tu f'kdk;r %&

¼क) मुख्यमंत्री जन शिकायतः– 2 मामलें लंबित है ।

(ख) मुख्य सचिव जन शिकायतः– शून्य

(ग) लोकायुक्त जन शिकायतः–शून्य

(घ) आयुक्त जन शिकायतः– 1 मामले लंबित है।

(ड) जिला जन शिकायत :– 11 मामले लंबित है।

(च) सूचना के अधिकार से संबंधित%& 2 मामले लंबित है।

(छ) अंकेक्षणः– 1 मामाले लंबित है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया गया कि जो भी मामले जन शिकायत से संबंधित लम्बित हैं, उसे अविलम्ब निष्पादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला कार्यालय से इन सभी मामलों का मिलान कर अद्यतन सूची प्राप्त कर उसे निष्पादित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

14- izHkkj rkfydk %&

Øekd	uke	inuke	dk;z rkfydk
1.	अग्नि कुमार	प्रधान लिपिक	1. माननीय न्यायलय संबंधी कार्य 2. अंकेक्षण एवं निरीक्षण 3. अनुक्रमणी 4. लोक सभा/ विधान सभा 5. विभिन्न प्रकार के पत्राचार 6. मासिक प्रतिवेदन 7. ऑगनवाड़ी 8. स्थापना
2.	श्री अखिलेश कुमार ,	नाजीर	1. नजारत 2. कब्रिस्तान 3. कल्याण 4. विभिन्न प्रकार के पत्राचार
3.	मो0 शहादत हुसैन ,	सहायक लिपिक	1. आगत पत्रों का संधारण 2. सूचना का अधिकार 3. बी0आर0जी0एफ0 योजना 4. पारिवारिक लाभ 5. सामाजिक सुरक्षा कोषांग 6. सभी तरह के जन शिकायत

7. पदाधिकारी द्वारा दिया गया अन्य कार्य

4. श्री सियाराम प्र0 सिंह,सहायक लिपिक
1. निर्गत पत्रों का संधारण
2. 13वीं वित्त आयोग
3. चतुर्थ वित्त आयोग
4. जन्म–मृत्यु
5. कन्या विवाह
6. पदाधिकारी द्वारा दिया गया अन्य कार्य

5. श्री सिकन्दर चौधरी लेखा सहायक (ई0आ0)
1. इन्दिरा आवास संबंधित कार्य ।

15- fuokZpu dk;Z– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आधार नं0 से मतदाताओं को जोड़ने का कार्य बी0एल0ओ0 के माध्यम से कराया जा रहा है ।

16 -lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstuk

1. इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना में कुल स्वीकृत पेंशनधारियों की सं0 6354 है।
2. इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना में कुल स्वीकृत पेंशनधारियों की सं0 507 है।(80 वर्ष से उपर)
3. इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में कुल स्वीकृत पेंशनधारियों की सं0 811 है।
4. इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना में कुल स्वीकृत पेंशनधारियों की सं0 15 है।
5. बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना में कुल पेंशनधारियों की सं0 1906 है।
6. लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कुल पेंशधारियों की सं0 1388 है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मद में कुल 4,42,12,534.00 रूपया कैस बुक में शेष है, जबकि पेंशन वितरण हेतु एक बड़ी राशि पंचायत सचिव को अस्थायी अग्रिम के रूप में दी गई है, परन्तु इसका समायोजन अब तक नहीं किया गया है। यहॉ तक की निरीक्षण की तिथि निर्धारित रहने के बावजूद अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया है। आज सभी पंचायत संचिव उपस्थित होकर बतलाया कि राशि का वितरण कर विपत्र नाजीर को दे दिया गया है। नाजिर ने इसे निरीक्षण के दौरान अवलोकनार्थ उपस्थापित भी किया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक 963/अनु0सा0सु0, दिनांक 15.11.2014 एवं ज्ञापांक 129/अनु.सा.सु., दिनांक 20.02.2015 के द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि पेंशन वितरण के पश्चात अवशेष राशि भी उसी दिन पुनः प्रखण्ड कार्यालय के नजारत में जमा कराई जायेगी और यह सुनिश्चित कराया जाये कि किसी भी परिस्थिति में अवशेष राशि वितरण करने वाले के पास न रहे। एक माह से अधिक की अवधि तक यदि भाउचर पंचायत सचिवों के द्वारा जमा नहीं की गई तो इस संबंध में न तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई की गई और न ही प्रखण्ड नाजीर के द्वारा इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित की गई। वरण जो प्राप्त भाउचर हैं, उसे भी समायोजित नहीं की गई। यह स्थिति अत्यंत ही शर्मनाक है कि बार–बार निदेश दिये जाने के उपरांत नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। उपस्थित जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड नाजीर श्री अखिलेश कुमार से कारणपृच्छा पूछते हुए कि क्यों नहीं उनके कार्यों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता के लिए दो वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाय। ¼vuqikyu % ftyk LFkkiuk mi lekgrkZ] tgkukckn ½

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी पंचायत सचिवों से भाउचर प्राप्त कर तीन दिनों के अंदर इसका समायोजन कराना सुनिश्चित करें अन्यथा तीन दिनों के अंदर इसका अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर प्रपत्र–क गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर दिया जायेगा। किसी भी पंचायत सचिव के द्वारा भाउचर हस्तगत नहीं कराता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सामाजिक सुरक्षा मद के राशि से इस मद के अस्थाई अग्रिम का समायोजन कर अद्यतन प्रतिवेदन भी उपलब्ध करायेंगे।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों का स्वयं भ्रमण कर कैस बुक का निरीक्षण कर सुनिश्चित कर लें कि सामाजिक सुरक्षा के मद की राशि कैस बुक में अवशेष में अस्थाई अग्रिम में संधारित तो नहीं है। इसका प्रतिवेदन सात दिनों में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

¼vuqikyu % lgk;d funs'kd] ftyk lkekftd lqj{kk dks"kkax] tgkukckn½

17- bfUnjk vkokl ;kstuk%

Ø-	foÙkh; o"kZ	y{;	iFke fdLr foeqDr ykHkqdks dh la0	iw.kZ	viw.kZ	f}rh; fdLr gsrq izkIr vkosnu dh la0
1	2011—12	384	384	334	50	3
3	2012—13	403	403	257	146	10
4	2013—14	1393	1393	484	909	20
5	2014—15	951	951	—	951	—
	dqy	3131	3131	1075	2056	33

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इंदिरा आवास के जितने लाभुकों को वर्ष 2014–15 में प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया गया है, उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है या नहीं तथा द्वितीय किस्त के लिए जो आवेदन प्राप्त हुये हैं, उसके फोटोग्राफ का भौतिक सत्यापन इंदिरा आवास सहायक से कराते हुए अविलम्ब द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करते हुए आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सूची का सत्यापन इंदिरा आवास सहायक से कराते हुए इसे सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

18- jksdMcgh %&

प्रखंड कार्यालय, रतनी फरीदपुर के निरीक्षण के क्रम में इसके नजारत का निरीक्षण किया गया। सम्प्रति श्री अखिलेश कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक इस प्रखंड कार्यालय के नाजीर का कार्य वर्ष 2011 से देख रहे हैं। इनके द्वारा बतलाया गया कि इस नजारत में कुल 22 अलग–अलग मदों/शीर्षों की सहायक रोकड़ पंजियाँ संधारित है। इसके अतिरिक्त सामान्य रोकड़ पजी भी संधारित है। निरीक्षण के समय दिनांक 31.03.2015 के संवरण शेष की सहायक रोकड़ पंजीवार

विवरणी तथा रोकड़वार विवरणी, जो सामान्य रोकड़ पंजी में प्रविष्ट है, प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार अंकित पाया गया।

Ø-	**Head** dk uke	jkdM+ 'k"k
1	2015 निर्वाचन	294623.00
2	2515'ख' सा0वि0 वेतन	197021.00
3	2515'क' पंचायत	346.00
4	औपबंधित पेंशन	0.00
5	2401 कृषि	1982008.00
6	विधायक मद	319122.00
7	संसद मद	35886.00
8	पार्षद मद	180972.00
9	सामान्य इन्दिरा आवास	2995609.00
10	प्रधानमंत्री इन्दिरा आवास	65121.00
11	2225 कल्याण	6598712.00
12	दुधसंग्रह, एकादश, चतुर्थ 12वी ,13 वीं बी0आर0जी0एफ	4973482.00
13	संसाधन सह शिक्षा भवन	189580.00
14	पंचायत संख्याकी	573816.00
15	वृद्धावस्था पेंशन	44212534.00
16	राष्ट्रीय सम विकास योजना	31705.00
17	विविध	4319287.00
18	इन्दिरा आवास (आकास्मिकता)	635214.00
19	नियोजित शिक्षक का वेतन	14798.00
20	3554 जनगणना	350902.00
22	मनरेगा	82644.32
23	मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीवनोधार योजना	753041.00
	dy ;kx %&	6]94]16]423-32

Details Cash Balance on 09.7.2014			
1	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, शकुराबाद खाता सं0	72110100068945	695936.00
2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, शकुराबाद खाता सं0	72110100084721	90968.00
3	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, शकुराबाद खाता सं0	72110100085438	1576173.00
4	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, शकुराबाद खाता सं0	72110100090935	28473.00
5	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, शकुराबाद खाता सं0	72110100130037	3609645.00
6	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, नेहालपुर खाता सं0	459902010002156	2571969.74
7	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, नेहालपुर खाता सं0	459902010002805	4546098.46
8	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, नेहालपुर खाता सं0	459902010002806	63371.00

9	पंजाब नेशनल बैंक, नोआवॉ खाता सं0	162200210000510	594858.00
10	पंजाब नेशनल बैंक, नोआवॉ खाता सं0	1622000100037024	16020570.90
11	पंजाब नेशनल बैंक, नोआवॉ खाता सं0	1622000100043946	732908.90
12	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100033990	191447.40
13	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100034005	48004.00
14	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100034014	748354.00
15	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100034023	215560.00
16	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100047799	3013874.90
17	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100049140	28624.00
18	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100047805	608208.00
19	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100119702	64135.90
20	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100127677	4108998.90
21	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100139177	753041.00
22	पंजाब नेशनल बैंक, रतनी खाता सं0	1633000100052852	82534.22
23	भारतीय स्टैट बैंक, जहानाबाद खाता सं0	11050099848	1127281.00
24	चेक सं0 117870 की राशि जिसे डी0आर0डी0ए0 मेंपुनः जीवीत करने हेतु लौटायी गयी		1800.00
	कुलः–		41522844.32
25	रोकड पंजी में दर्ज किया गया है परंतु खातासं0 1633000100047799 से चेक सं0 26356 दि0 15.01.2014 अंतरण नहीं किया गया		(-) 18500.00
26	रोकड पंजी में दर्ज किया गया है परंतु खाता सं0 1459902010002156 से अंतरण नहीं किया गया		(-) 455705.00
27	रोकड पंजी में दर्ज किया गया है परंतु खाता सं0 72110100090935 म0 वि0 ग्रा0 बैक से अंतरण नहीं किया गया		(-) 15000.00
28	रोकड पंजी में दर्ज किया गया है परंतु खाता सं0 1633000100127677 से अंतरण नहीं किया गया		(-) 465000.00
29	खाता सं0 459902010002806के खाता में गलत किया गया राशि		(+) 2000.00
30	खामा सं0 1633000100034005 में अधिक दिखाई गयी राशि		(+) 2200.00
31	खाता सं0 11050099848 जमा की गई राशि परन्तु खाता में अप्राप्त है		(+) 13702.00
32	खाता सं0 1633000100033990 में काटी गयी राशि		(+) 5611.00
33	खाता सं0 1633000100047799से काटी गयी राशि		(+) 1327.70

34	खाता सं0 16330001000127677 से काटी गयी राशि		(+) 5020.25
35	अभिश्रव		(+) 3746312.00
28	निर्वाचन अभिश्रव		(+) 517976.00
29	अस्थायी अग्रिम		(+) 28442030.00
30	सिंगल लॉक		(+) 9826.05
d|y			7,33,14,644.32

lkr djkM rrhl yk[k pkng gtkj N% lk pk;yhl :lk; crhl iSl

निरीक्षण के क्रम में उपस्थापित किये गए रोकड़ पंजी एवं उपर्युक्त विवरणों में प्रारंभिक रूप से यह पाया गया कि सहायक रोकड़ पंजीवार विवरणी (Subsidiary Cash Book details) (रू0 69416423.32) तथा रोकड़वार विवरणी (Cash details) (रू0 73314644.32) में लगभग 38,98,221.00 रूपये की भिन्नता परिलक्षित है, जिसका कोई विवरण सामान्य रोकड़ पंजी में अंकित नहीं किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रतनीफरीदपुर से इस बिन्दु पर पृच्छा किये जाने पर इन्होंने बतलाया कि वर्ष 2004 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी के आदेश पर शून्य संवरण शेष पर रोकड़ बहियों का संधारण प्रारंभ किया गया था, परन्तु उक्त तिथि को विभिन्न रोकड़ शीर्षों की बैंक खाते में जमा राशि का समायोजन नहीं हो सका और वही राशि आज भी अधिकाई के रूप में परिलक्षित हो रही है।

निरीक्षण में पाई गई दूसरी गंभीर त्रुटि बैंक खाते में रखी गयी राशि के लेखा मेल मिलाप (account reconciliation) का अभाव पाया जाना है। जाँच में यह पाया गया कि रोकड़ विवरणी बैंक पासबुक में दर्शायी जा रही राशि के आलोक में तैयार किया गया है, परन्तु प्रखंड कार्यालय में खातावार पंजी संधारित रहने के बावजूद इसे अद्यतन नहीं रखने के कारण इनका परस्पर मेल मिलाप संभव नहीं है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है और इससे बैंक खाते में रखी गयी राशि का दोहरा सत्यापन संभव नहीं है, जिसके कारण वित्तीय अनियमितता भी हो सकती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस त्रुटि का शीघ्र निराकरण करे तथा पाक्षिक रूप से बैंक खाते में रखी गयी राशि के लेखा मेल मिलाप (account reconciliation) सुनिश्चित करावें। सामान्य रोकड़ पंजी पर भी बैंको के साथ लेखा मेल मिलाप का विवरण अंकित करने का निदेश दिया गया। नमूना जाँच में यह पाया गया कि विकास मद एवं अन्य विविध प्राप्तियों की राशि का अन्य मदों में विचलन कर एक काफी बड़ी राशि (रू0 4264288.00) असमायोजित अभिश्रव के रूप में रखी गई है। पृच्छा किये जाने पर कि किस मद में कितनी राशि के असमायोजित अभिश्रव हैं, यह बता पाने में भी नाजीर, लेखापाल एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी असमर्थ रहे क्योंकि असमायोजित अभिश्रवों की कोई सहायक पंजी (subsidiary register) नहीं संधारित की गई है। दिए गए विवरण के अनुसार अग्रिम के रूप में रू0 28442030.00 की भारी भरकम राशि दर्शायी जा रही है परन्तु यह राशि किसे और किस मद में दिये गये हैं इसका कोई विवरण निरीक्षण के समय उपलब्ध नहीं कराया गया। नाजिर के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया

कि वृद्धा वस्था पेंशन तथा डीजल अनुदान वितरण के लिए अग्रिम प्रदान किये गये हैं, जिसमें कुछ के अभिश्रव प्राप्त भी हो गये हैं।

प्रखंड कार्यालय के नजारत के नमूना जॉच में कुछ अन्य त्रुटियॉ भी परिलक्षित हुई हैं, जैसे बिहार कोषागार संहिता के भाग–I के नियम 300 के उपबंध के प्रतिकूल राशि की निकासी कर लंबे समय तक बैंक खातों में रखा जाना जिससे सहायक रोकड़ पंजियों में भारी अंतशेष की राशि है, एक हीं रोकड़ पंजी में अलग–अलग शीर्षों अथवा मदों का लेखा प्रविष्ट करना परन्तु माह के अंत में इसका मदवार विवरण अंकित नहीं किया जाना, इत्यादि। यह वित्तीय बाध्यताओं (financial obligation) की अवहेलना है।

<u>bl Øe e fuEukfdr fun'k fn; tkr g &</u>

- अग्रिम के रूप में 28442030.00 की भारी भरकम राशि के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया जाता है कि अगले एक सप्ताह के अंदर अग्रिम का समायोजन कर प्रतिवेदन समर्पित किया जाय तथा यदि किसी कर्मी के पास अनावश्यक रूप से राशि अग्रिम के रूप में लंबित रही है तो उसका भी औचित्य स्पष्ट किया जाय कि यह अस्थायी गबन का तो मामला नहीं है।

¼vuikyu % i[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhnij ½

- निरीक्षण के दौरान लगभग 38,98,221.00 रूपये की कैस में भिन्नता के बिन्दु पर ज्ञात हुआ कि वित्तीय अनियमिता के आलोक में तत्कालीन जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा ज्ञापांक 960/गो0, 25.06.2004 के द्वारा शून्य बैंलेंस पर कैस बुक संधारित करने एवं इसका विशेष ऑडिट कराकर प्राप्त प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने से संबंधित आदेश निर्गत किया गया था, जिसकी संचिका अभी प्रखण्ड कार्यालय में मौजूद है। इसके आलोक में विशेष ऑडिट का प्रतिवेदन दिनांक 13.08.2004 को प्राप्त भी हुआ। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हुई, संबंधित कर्मियों के न्यायालय में चले जाने के कारण इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी। संचिका के अवलोकन से यह परिलक्षित नहीं हो पा रही है कि कितनी राशि का गबन हुआ है और इसमें गबन की राशि के वसूली हेतु अद्यतन क्या कार्रवाई किया गया है। जो पूर्व से राशि आ रहा था, शून्य बैलेंस पर खोले गये कैस बुक के समय में कैस बुक में वास्तविक रूप से कितनी राशि उपलब्ध थी, जो राशि लम्बित आ रही थी, उसका समायोजन हुआ कि नहीं? उसे संबंधित शीर्ष में संधारित किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतएव उप विकास आयुक्त, जहानाबाद एवं निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि इस मामले का गहन छानबीन करते हुए विशेष ऑडिट रिर्पोट/ पूर्व के जिलाधिकारी के आदेश एवं जो कैस बुक में राशि उल्लेखित है, उसका गहन अध्ययन कर उस पर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा जो राशि गबन हुई है उसके वसूली के लिए क्या प्रयास किये गये हैं। गबन और अन्य शेष राशि कैस बुक में परिलक्षित करने हेतु वित्तीय नियमावली के तहत अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ताकि सही अंतशेष दृष्टिगोचर हो सके।

¼vuikyu % mi fodkl vk;Dr] tgkukckn@ fun'kd] y[kk i'kklu ,o Lofu;ktu] tgkukckn ½

- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पाक्षिक रूप से बैंक खाते में रखी गयी राशि के लेखा मेल मिलाप (account reconciliation) सुनिश्चित करावें।
- जितने अभिश्रव हैं, उसका मदवार अलग–अलग कर संबंधित मद में समायोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
- निर्वाचन अभिश्रव में 517976.00 है, जबकि 2015 निर्वाचन मद में 294623.00 रूपया कैस बुक में अवशेष है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसकी जॉच कर प्राप्त अभिश्रव को समायोजित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरदीपुर को निदेशित किया गया कि सभी पास बुकों के उपर में संबंधित शीर्ष का नाम अंकित निश्चित रूप से किया जाय ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन–सा खाता किस शीर्ष से संबंधित है।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वैसा शीर्ष जो वर्तमान में उपयोग नहीं हो रही है, उसे राशि संबंधित विभाग को वापस करते हुए कैस बुक से हटाने की कार्रवाई करें ताकि अनावश्यक कैस बुक में ये राशि संधारित न रहें।
- 2401 कृषि मद में कुल 1982008.00 राशि अवशेष है, जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान के लिए प्राप्त राशि को वितरित कर दिया गया है। निदेशित किया गया कि यह राशि किस वर्ष की किस कार्य के लिए प्राप्त हुये हैं, इसकी जॉच कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

19- 13oh foÙk ;kstuk %& उप विकास आयुक्त, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि 13वीं वित्त योजना की मद से ऑगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया जाना है, इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा जितनी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, उतनी राशि इस मद में उपलब्ध भी नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि 13वीं वित्त योजना की मद में कुल कितनी राशि है तथा उसके विरूद्ध कुल कितने योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कुल कितनी राशि व्यय होगी।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

20- ch-vkj-th-,Q-@prqFkZ foÙk@ 13oh foÙk %&

Ø0	;kstuk dk uke	foÙkh; o"kZ	dqy yh xbZ ;kstuk	iw.kZ	viw.kZ
1	13वे वित्त	2010–11	01	पूर्ण	–
		2011–12	01	पूर्ण	–
		2012–13	04	01	03
		2013–14	09	01	08
		2014–15	04	–	04
2	चतुर्थ वित्त	2013–14	63	45	18
		2014–15	09	04	05

3	बी.आर.जी.एफ.	2013—14	21	07	14

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि सभी अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी समीक्षा प्रखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु स्वयं कार्य स्थल का भ्रमण कर योजना निरीक्षण का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। अब तक कितने योजनाओं की जॉच की गई है, इसका निरीक्षण प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

21- okgu %& प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय के लिए एक पुरानी जीप थी, जो जर्जर स्थिति में थी, उसे कंडम कराने के लिए जिला मुख्यालय में पत्र भेजा गया है। वर्तमान में भाड़े का बोलोरो प्रयोग किया जा रहा है। जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद को निदेशित किया जाता है कि इस संबध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

22- vk/kkjHkwr lajpuk %&

- tu izfrfuf/k Hkou %& प्रखण्ड कार्यालय के आर.टी.पी.एस. सेंटर के समीप में जन प्रतिनिधि भवन निर्मित है, जिसमें आवश्यक मरम्मती एवं रंग—रोगन की आवश्यकता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आवास के निर्माण होने तक तत्काल के लिए इस भवन को अपने आवास के रूप में प्रयोग करें तथा इसके रंग—रोगन आदि के लिए राशि का व्यय चतुर्थ वित्त की उपल्बध मद में से करना सुनिश्चित करेंगे।

  ¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

- i'kqikyu Hkou %& निरीक्षण के दौरान इस भवन का निरीक्षण किया गया। प्रखण्ड कार्यालय के द्वारा ही इस भवन का निर्माण कराया गया है, परन्तु इसमें केवल रंग—रोगन एवं कुछेक दरवाजा—खिड़की एवं फर्श फिनिशिंग करने की आवश्यकता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड कार्यालय में इसका अभिलेख खोज कर उपलब्ध राशि से इसका कार्य पूर्ण करायें तथा यदि आवश्यकता हो तो इस भवन में भी अपना आवास तत्काल के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही एक तल में अन्य कार्यालयों को संचालित करने की व्यवस्था करेंगे।

  ¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhniqj ½

- jkT; [kk| fuxe xksnke %& सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि गोदाम का फर्श अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण खाद्यान्न को भंडारण कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निरीक्षण करने के क्रम में यह पाया गया कि इसके बरामदे का फर्श टूटा हुआ है एवं गोदाम के फर्श भी टूटे हुये हैं, जिसकी मरम्मती अनिवार्य है। उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेशित किया गया कि इसके मरम्मती के लिए प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

  ¼vuqikyu % mi fodkl vk;qDr] tgkukckn@vij lekgrkZ] tgkukckn@ funs'kd] y{kk iz'kklu ,oa Lofu;kstu] tgkukckn@ vuqeaMy inkf/kdkjh] tgkukckn@ ftyk LFkkiuk mi lekgrkZ] tgkukckn@ Hkwfe lq/kkj mi lekgrkZ] tgkukckn@ iz[k.M iHkkjh] jruh Qjhniqj ½

- iz'kFkkfed LokLF; dsUnz] jruh Qjhnqj %& ई–नागरिक भवन के सामने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनी फरीदपुर का चहारदीवारी काफी दिनों से टूटकर गिरा पड़ा है। इसका निर्माण आई.ए.पी. योजना अंतर्गत तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, जहानाबाद के द्वारा कराया गया है, जो अब स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद के रूप में कार्यरत है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद को निदेशित किया जाता है कि टूटे हुए चहारदीवारी का अविलम्ब निर्माण कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu % dk;Zikyd vfHk;ark] LFkkuh; {ks= vfHk;a=.k laxBu] tgkukckn ½

- lEidZ iFk %& शकुराबाद–कुर्था मुख्य पथ से ई–किसान भवन, ई–नागरिक भवन, मनरेगा भवन, पशुपालन भवन, राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जाने के लिए सम्पर्क पथ नहीं रहने के कारण वर्षा के दिनों में काफी कठिनाई होती है। उपस्थित कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, रतनी फरीदपुर को निदेशित किया गया कि इन सभी भवनों तक जाने के लिए मुख्य पथ से सम्पर्क पथ का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।

¼vuqikyu % dk;ZØe inkf/kdkjh] eujsxk] jruh Qjhnqj ½

23- vU;kU; %&

- निरीक्षण के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि जिलास्तरीय पदाधिकारियों यथा उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/अपर समाहर्ता, जहानाबाद/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद/ अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/ जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद/ प्रखण्ड प्रभारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा अधोहस्ताक्षहरी के निर्धारित निरीक्षण के पूर्व निरीक्षण हेतु तैयारियों की समीक्षा नहीं की गई है। निदेशित किया जाता है कि भविष्य में अधोहस्ताक्षरी का निरीक्षण पूर्व से निर्धारित रहने पर संबंधित प्रखण्ड कार्यालयों/अंचल कार्यालयों/ बाल विकास परियोजना कार्यालयों का निरीक्षणी की तैयारी संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाय।

¼vuqikyu % mi fodkl vk;qDr] tgkukckn@vij lekgrkZ] tgkukckn@ funs'kd] ys[kk iz'kklu ,oa Lofu;kstu] tgkukckn@ vuqeaMy inkf/kdkjh] tgkukckn@ ftyk LFkkiuk mi lekgrkZ] tgkukckn@ Hkwfe lq/kkj mi lekgrkZ] tgkukckn@ iz[k.M izHkkjh] jruh Qjhnqj ½

- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा भी प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण अब तक नहीं किया गया है, जो दुःखद है। अतएव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों और किस परिस्थिति में अपने पदस्थापन की अवधि में अब तक एक बार भी प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया है। जबकि निरीक्षण हेतु तिथि का निर्धारण जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद के ज्ञापांक 556/गो0, दिनांक 25.03.2015 के द्वारा करते हुए आपको प्रेषित की गई है।

¼vuqikyu % iz[k.M fodkl inkf/kdkjh] jruh Qjhnqj ½

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक /गो0, जहानाबाद दिनांक वीं अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद/ अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद/ जिला

स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद/ जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला/ अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर/ आई.टी. मैनेजर, जहानाबाद/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद / प्रधान सहायक, प्रखण्ड कार्यालय, रतनी फरीदपुर/ प्रखण्ड नाजीर, प्रखण्ड कार्यालय, रतनी फरीदपुर एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/15

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 670 /गो0, जहानाबाद दिनांक 13 वीं अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/15

जिलाधिकारी, जहानाबाद।